FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

बिशनदयाल पुत्र श्री मोतीलाल वगै0 जाति महाजन निवासी परतापुर तह0 मांढण

बनाम

अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वगै0 जाति ब्राह्मण निवासी परतापुर तह0 मांढण (हरि0)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 25 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	24.01.2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 वाके ग्राम परतापुर तह0 मांढण जिला कोटपुतली–बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 26-02-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	6.3.24 आज पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली से मूलवाद डिग्री हो चुका है। अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रा० पत्र बनी [illegible] पर [illegible] कर [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से कम हो बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद हो। [signature]	